दैनिक
न्याय साक्षी

नौ जुआरियों से 2.60 लाख नगद सहित 11 मोबाइल व चार मोटरसाइकिल जब्त

❑ चिमटापानी-फुटहामुड़ा जंगल में घरघोड़ा पुलिस की बड़ी जुआ रेड कार्यवाही

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर घरघोड़ा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मिंज के नेतृत्व में दिनांक 09.07.20 22 को घरघोड़ा स्टाफ द्वारा चिमटापानी-फुटहामुड़ा जंगल में 52 पत्ती ताश से जुआ खेलने की सूचना पर सुनियोजित तरीके से जुआ रेड कार्यवाही किया गया, जहां 9 जुआरियों को मौके पर ताल पतरी बिछाकर 52 पत्ती ताश से जुआ खेलते पकड़ा गया।

थाना प्रभारी घरघोड़ा को सूचना मिली थी कि झरियापाली का शकरुद्दीन खान व उसके साथी जंगल में जुआ खेलने जाते हैं जिस पर कार्यवाही के लिए पिछले 7 दिनों से थाना प्रभारी घरघोड़ा स्टॉफ व मुखबीर लगाकर रखे थे। शाम मुखबिर द्वारा जुआरियों के जंगल अंदर जुआ फड में बैठे होने की सूचना दिया। तत्काल थाना प्रभारी घरघोड़ा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर उनके मार्गदर्शन पर जुआ रेड कार्यवाही किया गया। जहां 9 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया जिनके पास एवं जुआ फड से 2,60,000 रुपए नगद, 11 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल तथा जुआ फड के सामने खड़ी 4 मोटरसाइकिल तथा 3 नग ताल पतरी, 52 पत्ती ताश की जब्ती कर थाना लाया गया। थाना घरघोड़ा में जुआरियों पर 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। ASP लखन पटले तथा SDOP धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर जुआ रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक प्रवीण मिंज, उप निरीक्षक एडमोन खेस, सहायक उप निरीक्षक विलफ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक डोल नारायण साव, आरक्षक उद्दव पटेल, दिलीप साहू, पुरूषोत्तम सिदार, प्रहलाद भगत, खगेश्वर नेताम, नंद कुमार पैंकरा शामिल थे।

मौके पर पकड़े गये जुआरियान-

(1) शकरुद्दीन खान पिता समसुद्दीन खान उम्र 31 वर्ष निवासी झरियापाली घरघोड़ा

(2) हरिशंकर जयसवाल पिता धीर साय जयसवाल उम्र 39 वर्ष निवासी लोधिया थाना खरसिया

(3) सत्यनारायण राठिया पिता वेद राम राठिया 42 साल नहरपाली खरसिया

(4) ललित चौहान पिता शोभाराम उम्र 40 वर्ष निवासी कुलीकुंडा लैलूंगा

(5) तैयब खान पिता राज खान उम्र 32 वर्ष पत्थलगांव जशपुर

(6) अशफाक अहमद पिता करीमुद्दीन उम्र 50 वर्ष आमाटोली सीतापुर जिला सरगुजा

(7) रामदास पिता खूनादास महंत उम्र 58 वर्ष निवासी सूर थाना सीतापुर जिला सरगुजा

(8) कुमार कमलेश साव पिता रामानंद साव उम्र 30 साल निवासी पुरानी बस्ती पत्थलगांव जिला जशपुर

(9) ज्ञानेश मुरी पिता सत्य नारायण मुरी उम्र 51 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 1 लैलूंगा रायगढ़

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत 30 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिन आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक हो वे इस योजना के अंतर्गत 30 जुलाई 2022 तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वेबसाईट (http://www.kviconline.gov.in/pmegp/pmegpweb/) में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है अथवा कार्यालयीन समय पर वांछित दस्तावेजों के साथ कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

आवेदक आवेदन जमा करने के लिए दस्तावेज जैसे परियोजना प्रतिवेदन की प्रति, आधार कार्ड, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (यदि हो), ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र+जनसंख्या प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि हो) जमा कर सकते है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत निर्माण/ उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख एवं सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख है। योजना में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुल परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगें। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

जनपद पंचायत पुसौर में चलाया गया सफाई एवं वृक्षारोपण महा अभियान

रायगढ़। जनपद पंचायत पुसौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश पटेल के मार्गदर्शन में आज जनपद पंचायत पुसौर के भवन एवं परिसर में सफाई अभियान चला कर समस्त भवनों के दस्तावेज को साफ -सफाई कर व्यवस्थित रूप से रखा गया एवं रिक्त प्रांगण में अनावश्यक रूप से उगे घास एवं पेड़ पौधों को जनपद पंचायत के कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने साफ -सफाई में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर जनपद पंचायत परिसर में वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया। इस महा अभियान में जनपद पंचायत पुसौर को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए कार्य योजना पर भी विचार किया गया। इसके अंतर्गत रिक्त परिसर में सजावटी बागवानी वाले पौधे लगाने की सहमति दी गई। साफ -सफाई में विशेष योगदान देने वाले जनपद पंचायत में पंचायत विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा, बिहान, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, बीपी आर सी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के भृत्य कर्मचारियों को इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने एवं सफल बनाने के लिए स्मृति चिन्ह मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश पटेल के द्वारा दिया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश पटेल ने कहा कि इस अभियान से जनपद पंचायत पुसौर अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यालय एवं ग्राम पंचायत ऐसे ही सफाई अभियान एवं वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रेरित होंगे। साथ ही हर माह के द्वितीय शनिवार को ऐसे ही सफाई अभियान जारी किये जाने के लिए इच्छा व्यक्त किए।

दुष्कर्म मामले का फरार आरोपी जशपुर के बागबहार क्षेत्र से गिरफ्तार

❑ दुष्कर्म सहित एट्रोसिटीज एक्ट के अपराध की एसडीओपी धरमजयगढ़ कर रहे है जांच

रायगढ़। थाना तमनार के दुष्कर्म मामले के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिये दिनांक 09.07.2022 को एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा अनुविभाग के थाना लैलूंगा स्टाफ के साथ जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले डेढ माह से लुक छिप रहा था। एसडीओपी धरमजयगढ़ आरोपी को दुष्कर्म सहित एट्रोसिटीज एक्ट में गिरफ्तार कर आज विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है।

प्रकरण की पीड़िता द्वारा दिनांक 01.07.2022 को थाना तमनार में युवक टिकेश्वर निषाद निवासी थानाक्षेत्र तमनार के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

पीड़िता बताई कि काफी सालों से टिकेश्वर निषाद को जानती पहचानती है। टिकेश्वर ही पहले प्रेम का प्रस्ताव और फिर विवाह का प्रस्ताव देकर वर्ष 2017 में सहेली के शादी घर से तमनार के एक गार्डन में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भी कई बार विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया है जो अब शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता के आवेदन पर थाना तमनार में धारा 376 IPC के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी तमनार द्वारा प्रारंभिक विवेचना की गई जिसमें पीड़िता के विशेष वर्ग की सदस्या होने से विधिवत पीड़िता का जाति प्रमाण प्राप्त कर प्रकरण में एट्रोसिटीज की धारा विस्तारित किया गया। प्रकरण की डायरी अग्रिम विवेचना के लिये एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा को प्राप्त होने पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये तमनार थाने के स्टाफ के साथ उसके सकुनत पर दबिश दिया गया जो फरार था। एसडीओपी धरमजयगढ़ सायबर सेल को आरोपी के लोकेशन चेक करने लगाये जिस पर ज्ञात हुआ कि आरोपी लगातार पत्थलगांव, बागबहार, जशपुर के आसपास क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई से बचने लुक छिप कर रह रहा है। जिस पर एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा थाना लैलूंगा स्टाफ को अलर्ट किये और आज सुबह सुनियोजित तरीके से बागबहार थाना क्षेत्र में दबिश देकर हिरासत में लिया गया। आरोपी टिकेश्वर निषाद (27 साल) का पीड़िता से पहचान पंचानामा कराया गया, पूछताछ में आरोपी अपना जुर्म स्वीकार किया है जिसे आज गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय रिमांड पर भेजा गया। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुपरविजन में थाना लैलूंगा के प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, राम रतन भगत, आरक्षक जॉन टोप्पो, राजू तिग्गा एवं सायबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह की अहम भूमिका रही है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिये पीड़िता एसपी आफिस आई थी जिसे शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर पीड़िता संतोष प्रकट कर पुलिस टीम को साधुवाद दी।

एसडीओपी दीपक मिश्रा की विवेचना में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

❑ विशेष न्यायालय रायगढ़ ने युवती से दुष्कर्म मामले में अधिरोपित दुष्कर्म और एट्रोसिटी एक्ट में आरोपी को दिया दंड

रायगढ़। दिनांक 08.07.2022 को विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायगढ़ के न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (एक्ट्रोसिटीज एक्ट) जितेंद्र कुमार जैन द्वारा थाना कापू के दुष्कर्म मामले में) आरोपी विनोद साहू पिता ईश्वर साहू उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम सकालो थाना कापू जिला रायगढ़ को युवती जो विशेष वर्ग की पीड़िता है जानते हुए वर्ष 2019 से मई 2021 के बीच विवाह करने का प्रलोभन देकर उससे बार-बार लैंगिक संभोग बलात्संग कारित करने का आरोप में दोषी पाकर दोष सिद्ध किया गया है। आरोपी को धारा 376(2)(ढ़) भादवि में 10 साल की सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपए के अर्थदंड एवं एट्रोसिटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(v) में आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है, आरोपी को दी गई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदंड राशि में से अपील अवधि के पश्चात पीड़िता को 50,000 रुपए प्रति कर दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।

पीड़िता द्वारा दिनांक 04.07.2021 को थाना कापू में आरोपी के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर अप.क्र.78/2021 धारा 376 IPC का अपराध तत्कालीन थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक धनीराम राठौर द्वारा पंजीबद्ध किया गया। मामले में महिला पुलिस अधिकारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा तत्कालीन थाना प्रभारी धरमजयगढ़ द्वारा एफआईआर एवं पीड़िता का कथन लिया गया। उप निरीक्षक धनीराम राठौर द्वारा प्रारंभिक विवेचना कर आरोपी की गिरफ्तारी कर प्रकरण में एट्रोसिटीज एक्ट की धारा विस्तारित किया गया जिसके बाद अग्रिम विवेचना के लिये डायरी एसडीओपी धरमजयगढ़ को प्राप्त हुई। एसडीओपी दीपक मिश्रा द्वारा विवेचना क्रम को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता का धारा 164 CrPC के तहत न्यायालीन कथन कराया गया तथा प्रकरण में जप्त स्लाइड एफएसएल जांच के लिये भेजे और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर धारा 376 भादवि एवं धारा 3(1) ब (1), 3(2)(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत चालान न्यायालय पेश किया गया। विशेष न्यायालय रायगढ़ में दोनों पक्षों की ओर से पेश किये गये अभियोजन साक्षियों, दस्तावेजों, भौतिक साक्ष्यों का माननीय न्यायाधीश द्वारा गठन परीक्षण, विश्लेषण किया गया जिसमें आरोपी को दुष्कर्म व एट्रोसिटीज की धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए दंड दिया गया है। प्रकरण की विवेचना दीपक मिश्रा, एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा किया गया है तथा मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू द्वारा मामले की पैरवी की गई है।

किरंदुल-विशाखापट्टनम विस्टाडोम कोच की टिकटों की बिक्री शुरू हुई

❑ 25 अक्टूबर से चलेगी किरंदुल-विशाखापट्टनम विस्टाडोम कोच

जगदलपुर (आरएनएस)। किरंदुल-विशाखापट्टनम में जुड़ रही विस्टाडोम कोच की टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों ने स्थानीय रेलवे स्टेशन के बुकिंग काऊंटर से तो कुछ ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले ईको रेलवे ने यह बताया था कि 25 अक्टूबर से यह कोच किरंदुल विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली पैसेंजर में जोड़ दी जाएगी। जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक के सफर के एवज में यात्रियों को 1285 रुपए किराए के रूप में चुकता करने होंगे। अब तक यह कोच विशाखापट्टनम से अरकू के बीच ही आती थी, लेकिन इसका विस्तार कर दिया गया है।

360 डिग्री घूमने वाली रिवॉल्विंग चेयर और बड़ी पारदर्शी खिड़कियां इस कोच को विशेष बनाती हैं। पारदर्शी छत अब तक अरकू वैली के सौंदर्य का दर्शन पर्यटकों को करवा रही थी, लेकिन अब दक्षिण बस्तर की हरियाली और गहन जंगलों का सौंदर्य भी पर्यटक इस बोगी में बैठकर निहार सकेंगे। इस कोच में सीसीटीवी कैमरे और म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, जो सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाता है। फिलहाल देश के कुछ ही राज्यों में इस कोच का इस्तेमाल ट्रेनों में जोडक़र किया जा रहा है। ज्ञात हो कि 2017 में पहली बार विस्टाडोम कोच केके रेललाइन पर दौड़ाई गई थी।

अब छत्तीसगढ़ में घर बैठे करा सकेंगे हाइपोथीकेशन टर्मिनेशन

❑ आईटी नवाचार से परिवहन सुविधा मिलना हुआ आसान

❑ घर बैठे परिवहन सेवा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही यह सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' को और सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत अब हाइपोथीकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है। प्रदेशवासी अब घर बैठे हाइपोथीकेशन (एचपी) से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। करीब 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत हाइपोथिकेशन जोडऩे और समाप्ति के संबंध में आरटीओ कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सभी दस्तावेजों और एनओसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े।

वाहन स्वामी के द्वारा एक बार जब बैंक में ऋण दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाता है, तो डेटा सीधे बैंक द्वारा वाहन डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा एचपीटी सेवा को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वत: हो जाएगा। आवेदकों को अपने बैंकों से फॉर्म-35 तथा एनओसी प्राप्त करने और इन दस्तावेजों को अपलोड करके हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन के लिए परिवहन विभाग में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एचपी के ऑटो-टर्मिनेशन के बाद एमपरिवहन और डिजिलॉकर पर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) उपलब्ध करा दिया गया है। वाहन मालिकों को एक एसएमएस के माध्यम से अपने एचपी के ऑटोमेटिक हटाने के बारे में भी सूचित किया जाता है।

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' के सुव्यवस्थित संचालन के लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा संचालित 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। परिवहन विभाग से संबंधित जनसुविधाएं इतनी सहजता से घर बैठे मिलने से लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके चलते आवेदकों के समय और धन की बचत होगी।

'इसके तहत केवल एक साल से कम की अवधि में 11 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 07 लाख 50 हजार 934 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 03 लाख 67 हजार 785 ड्राइविंग लायसेंस शामिल हैं। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आवेदकों के धन तथा समय दोनों की ही बचत हो रही है। परिवहन आयुक्त काबरा ने बताया कि परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी मार्गदर्शिका के अनुसार राज्यभर में लगभग एक हजार परिवहन सुविधा केन्द्र पूरे राज्य में खोले जा रहे हैं। वहीं परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना से करीब पांच हजार युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना भी बनेगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

घर से नकदी सहित लाखों रुपए का सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। प्रहलदवा तालाब स्थित घर से अज्ञात चोर नकदी 3400 रुपए सहित लेपटाप व दो नग मोबाइल पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ओमप्रकाश देवांगन 48 वर्ष प्रहलदवा तालाब के पास रहता है। बताया जाता है कि कोई अज्ञात 2-3 जुलाई की रात्रि को छत के ऊपर से घर में प्रवेश कर टेबल पर रखे लेपटाप, 2 नग मोबाइल और नकदी 3400 रुपए पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 1 लाख 3400 रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने अज्ञात चोरो के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

नकली ऑयल तैयार करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाई

रायपुर (आरएनएस)। खमतराई पुलिस के टीम ने गोंदवारा स्थित गुरुकृपा ट्रेडिंग गोदाम में दबिश देकर भारी मात्रा में नकली ऑयल तैयार करने का सामान जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोंदवारा स्थित गुरुकृपा ट्रेडिंग में दबिश देकर इंडियन ऑयल एवं विभिन्न नामी कंपनियों का स्टीकर जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने फीलिंग मशीन, इलेक्ट्रानिक प्रेस, तराजू एवं अन्य सामान जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 1 लाख 88 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने कंपनी के संचालक अगम दीप छावड़ा के खिलाफ धारा 420, कॉपीराइट एक्ट 63,65,68 के तहत कार्रवाई की है।

नक्सलियों के नेलनार एरिया कमेटी ने शहीद सप्ताह के बैनर टांगे

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले के कुकड़झोर थाना इलाके के ग्राम जम्हरी कुकड़ाझोर में नक्सलियों के नेलनार एरिया कमेटी ने बैनर लगाकर शहीद सप्ताह को सफल बनाने की अपील की है। बैनर लगाने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर नक्सली बैनर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस आवश्यक कार्यवाही कर रही है। प्रति वर्ष नक्सलियों द्वारा 28 जुलाई से 03 अगस्त तक शहिद सप्ताह मनाया जाता है, इसे लेकर पुलिस ने जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में हाईअलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि शहीद सप्ताह अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही नक्सली बैनर पोस्टर लगाकर लोगों में दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नारायणपुर एएसपी नीरज चंद्राकर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों के शहीद सप्ताह को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सर्चिंग बढ़ा दी गई है।

नक्सली डिप्टी कमाण्डर के साथ 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान पूना नर्कोम के तहत एक नक्सली मिलिशिया डिप्टी कमाण्डर कलमू माड़ा के साथ तीन नक्सलियों ने एएसपी नक्सल ऑप्स किरण चव्हाण एवं सीआरपीएफ द्वितीय कमान अधिकारी आनामी शरण के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मिलिशिया डिप्टी कमाण्डर कलमू माड़ा, मिलिशिया सदस्य नुप्पो बण्डी और कलमू माड़ा ने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना फुलबगड़ी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। इस दौरान मौजूद रहे। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने हेतु प्रोत्साहित करवाने में दूसरी वाहिनी के विशेष सूचना शाखा का विशेष प्रयास रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक खोजने निकली टीम, 5 किलो से अधिक बरामद

महासमुंद (आरएनएस)। छोटे-बड़े दुकानदार और व्यापारियों में गुरुवार दोपहर उस समय हडक़म्प मच गया। जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नेतृत्व में टीम पॉलिथीन खोजने निकली। आम बाजार, अपना मार्केट से प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल गिलास जब्त किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के नौशाद बख्श ने बताया कि प्रशासन ने 5 किलो से अधिक प्रतिबंधित पॉलीथिन व दर्जनों प्लास्टिक गिलास के पैकेट जब्त किए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी ने चेतावनी दी है कि शासन की मंशा के अनुसार प्रतिबंधित पॉलीथिन के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा। दुकानदार और व्यापारी इस कार्रवाई से बचने के लिए प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग पूरी तरह बंद कर दें। पॉलीथिन पकड़ो अभियान के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के समन्वयक नीतू प्रधान, मिशन क्लीन सिटी के रमा महानंद, मोहनदास मानिकपुरी, अजय प्रधान, आलोक ठाकुर, प्रकाश सोनवानी, राजेन्द्र नागपुरे, दिलीप यादव सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480